भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1797
दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट, 2023

1797. श्री बैन्नी बेहननः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केवल 54 प्रतिशत गांवों में ही प्रमाणीकरण की सूचना है, हर घर जल मिशन के अंतर्गत और प्रमाणित घरेलू नल कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;
(ख) सरकार 'इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट, 2023' में उजागर किए गए भू-जल के अत्यधिक दोहन के कारण उत्पन्न गंभीर जल संकट का समाधान किस प्रकार कर रही है;
(ग) क्या सरकार का घरेलू वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) जैसा कि जल की कमी एक चुनौती बनती जा रही है, नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी में देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल क्रियान्वित कर रही है।

जल राज्य का विषय है। पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जेजेएम के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी गांव में सभी ग्रामीण परिवारों को नल

कनेक्शन का प्रावधान करने के बाद, योजना को लागू करने वाला विभाग ग्राम पंचायत को कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान करता है और गांव को जेजेएम-आईएमआईएस पर 'हर घर जल' गांव के रूप में चिह्नित करता है। इसके बाद, ग्राम सभा अपनी बैठक में कार्य पूरा होने की रिपोर्ट को जोर से पढ़ते हुए, औपचारिक रूप से 'हर घर जल' गांव के रूप में स्वयं को प्रमाणित करते हुए प्रस्ताव पारित करती है। कार्यान्वयन विभाग द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र की प्रति, ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प और ग्राम सभा को कैप्चर करने वाला एक छोटा वीडियो जेजेएम डैशबोर्ड पर दर्शाया जाता है और गांव को जेजेएम-आईएमआईएस में प्रमाणित चिह्नित किया जाता है। इस प्रकार, प्रमाणन केवल ग्राम स्तर पर और गांव के सभी परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने के बाद ही किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करता है जिनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से हर घर जल प्रमाणन में वृद्धि करने और इसे जेजेएम डैशबोर्ड पर अद्यतन करने का अनुरोध किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग राज्यों के साथ फील्ड दौरे/कार्यशालाएं भी आयोजित करता है, जिनमें राज्यों पर एचजीजे प्रमाणन में वृद्धि करने की बात को बार-बार उल्लिखित किया जाता है।

जेजेएम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में जिलों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए अक्टूबर 2022 में, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा 'जल जीवन सर्वेक्षण का (जेजेएस)' शुभारंभ किया गया था। इसका व्यापक उद्देश्य जिलों को प्रेरित करना और उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को स्थापित करना है तथा समय-समय पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों के प्रयासों को मान्यता देना है। जेजेएस के अंतर्गत जिलों की मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक राष्ट्रीय रैंकिंग पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रकाशित की जाती थी। जिलों द्वारा गांवों को 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणित करने हेतु प्रेरित करने के लिए, एक विशेष श्रेणी के तहत, जिले के स्कोर की गणना में एचजीजे प्रमाणीकरण के मानदंड को भी महत्व दिया गया था।

3 दिसंबर 2024 तक, कुल 2.46 लाख 'हर घर जल' रिपोर्ट किए गए गांवों में से 1.47 लाख (59.56%) गांवों को संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणित किया गया है।

(ख) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से देश के गतिशील भूमि जल संसाधनों का मूल्यांकन 2022 से प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। वर्ष 2023 के मूल्यांकन के अनुसार, कुल वार्षिक भू-जल पुनर्भरण 449 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) है

और वार्षिक निष्कर्षणीय भू-जल संसाधन 407 बीसीएम है। वर्ष 2023 के लिये पूरे देश का कुल वार्षिक भू-जल निष्कर्षण 241 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) के रूप में अनुमानित किया गया है, जिसमें से घरेलू उपयोग 11% (27.57 बीसीएम) है। भू जल निष्कर्षण का स्तर, जो वार्षिक निष्कणीय भू जल संसाधन की तुलना में सभी उपयोगों (सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू उपयोगों) के लिए वार्षिक भू जल निष्कर्षण का एक उपाय है, पूरे देश में 59% है।

देश में कुल 6,553 मूल्यांकन इकाइयों (ब्लॉकों/मंडलों/तालुकों) में से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 736 इकाइयों (11.23%) को 'अतिदोहित' की श्रेणी में रखा गया है जिनमें वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल पुनर्भरण से अधिक भूजल निष्कर्षण दर्शाया गया है। 199 (3.04%) मूल्यांकन इकाइयों में भूजल निष्कर्षण का स्तर 90-100% के बीच है और इसे 'गंभीर' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी 698 (10.65%) "सेमी-क्रिटिकल" इकाइयाँ हैं, जहाँ भूजल निष्कर्षण का स्तर 70% और 90% के बीच है और 4793 (73.14%) 'सुरक्षित' इकाइयाँ हैं, जहाँ भूजल निष्कर्षण का स्तर 70% से कम है।

(ग) जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों से संबंधित पहलुओं का अध्ययन, आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं उनके अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार की भूमिका जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही मौजूदा स्कीमों के संदर्भ में उत्प्रेरक बनने, तकनीकी सहायता प्रदान करने और कुछ मामलों में आंशिक वित्तीय सहायता देने तक सीमित है। तथापि, देश में जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं

i) मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के विकास के विनियमन हेतु उपयुक्त भू-जल विधान अधिनियमित करने में सक्षम बनाने के लिए एक मॉडल बिल परिचालित किया है जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है। अब तक 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भूजल विधान को अपनाया और कार्यान्वित किया है। मॉडल विधेयक में परिकल्पना की गई है कि शहरी क्षेत्रों में भवनों की छतों और अन्य खुले क्षेत्रों से उपलब्ध वर्षा जल का भू-जल पुनर्भरण के लिए लाभप्रद रूप से उपयोग किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में व्यवहार्य वर्षा जल संचयन संरचनाओं में पुनर्भरण गड्ढे, ट्रेंच, मौजूदा नलकूप अथवा खुले कुएं आदि शामिल हैं।

ii) इसके अलावा, दिनांक 24.09.2020 के एमओजेएस दिशानिर्देशों के अनुसार और दिनांक 29.03.2023 के उसके संशोधन के अनुसार, भू-जल निष्कर्षण के लिए सीजीडब्ल्यूए से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए परियोजना प्रस्तावकों

(उद्योग, बुनियादी ढांचे और खनन) को आवेदक द्वारा सरकारी एजेंसी को प्रस्तुत वर्षा जल संचयन योजना की प्रति या आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए प्रचलित मॉडल भवन उप-कानूनों के अनुसार परियोजना परिसर में वर्षा जल संचयन/पुनर्भरण के लिए प्रस्ताव जमा करना होगा। इसके अलावा, डीओडब्ल्यूआर, एमओजेएस ने हाल ही में (31.03.2023) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को एसओपी और क्या करें तथा क्या न करें के साथ-साथ आरडब्ल्यूएच और एआर के कार्यान्वयन के संबंध में सलाह जारी की है। परामर्श में वर्षा जल संचयन के मानकों संबंधी बीआईएस दस्तावेज को भी शामिल किया गया है। सीजीडब्ल्यूए ने इस परामर्शी पत्र को सभी एसजीडब्ल्यूए और संबंधित राज्य के प्रधान सचिवों को भी अग्रेषित कर दिया है।

iii) राष्ट्रीय जल नीति (2012) जल संसाधन विभाग, आरडी एंड जीआर द्वारा तैयार की गई है, जो वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण की सिफारिश करती है। शहरी क्षेत्रों में, जहां कहीं तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, उपयोज्य जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वर्षा जल संचयन के कार्यान्वयन में जल भूविज्ञान, भूजल संदूषण, प्रदूषण और स्प्रिंग डिस्चार्ज जैसे मापदंडों की वैज्ञानिक निगरानी शामिल होनी चाहिए।

iv) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मॉडल भवन उप-विधि, 2016 जारी की है जो 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक आकार वाले सभी प्रकार के भवनों के लिए वर्षा जल संचयन की सिफारिश करती है। अब तक, 35 राज्यों ने उनकी संबंधित भवन उप-विधियों में इन प्रावधानों को शामिल किया है।

v) केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने लगभग 25 लाख वर्ग किमी के पूरे मैप करने योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूयूआईएम) परियोजना पूरी कर ली है। जलभृत मानचित्र और प्रबंधन योजनाएं तैयार कर ली गई हैं तथा कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा की गई हैं। प्रबंधन योजनाओं में पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण उपाय शामिल हैं।

vi) सीजीडब्ल्यूबी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर आयोजना-2020 तैयार की है जो अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न भू-भाग स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को इंगित करते हुए एक वृहत स्तरीय आयोजना है। मास्टर आयोजना में 185 बिलियन घन मीटर

(बीसीएम) मानसूनी वर्षा का दोहन करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। डीपीआर संबंधित राज्य सरकार के प्रासंगिक समकक्ष विभाग द्वारा किसी अन्य जल आपूर्ति परियोजना या शहर विकास परियोजना की तरह कार्यान्वयन योग्य स्तर पर तैयार की जानी है। कार्यान्वयन केवल संबंधित राज्य सरकार की विद्यमान स्कीमों के माध्यम से किया जाना होता है और कार्यान्वयन के लिए किसी पृथक स्कीम/निधि की परिकल्पना नहीं की गई है। भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की मास्टर आयोजना-2020 कार्यान्वयन हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित की गई थी।

(घ) भारत सरकार ने वर्ष 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) को एनपीपी के अंतर्गत नदियों को परस्पर जोड़ने (आईएलआर) का कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत नदियों को परस्पर जोड़ने (आईएलआर) की स्कीम जल की कमी वाले क्षेत्रों में अधिशेष जल का भंडारण करने और अंतरण करने के लिए तैयार की गई है ताकि सूखे के कारण होने वाली परेशानियों को कम किया जा सके और वार्षिक रूप से आवर्ती बाढ़ के विनाश को भी कम किया जा सके।

एनपीपी के अंतर्गत, 30 लिंक परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 लिंक परियोजनाएं और हिमालयी घटक के तहत 14 लिंक परियोजनाएं शामिल हैं। भारत सरकार ने नदियों को परस्पर जोड़ने (आईएलआर) संबंधी कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है।

इन 30 लिंक परियोजनाओं में से 11 लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों, 26 लिंक परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्टों (एफआर) और सभी 30 लिंक परियोजनाओं की व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्टों (पीएफआर) का कार्य पूरा हो चुका है। पांच परियोजनाओं अर्थात केन बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी), गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना (जिसमें 3 परियोजनाएं शामिल हैं) और संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक परियोजना की पहचान "प्राथमिकता वाली लिंक परियोजनाओं" के रूप में की गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) एनपीपी की पहली लिंक परियोजना है जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

30 लिंक परियोजनाओं में से निम्नलिखित 4 परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करना अपेक्षित नहीं है:

i) कोसी-मेची अंतर्राज्यीय लिंक - पीएफआर तैयार की गई और प्रस्ताव छोड़ दिया गया तथा कोसी-मेची इंट्रा लिंक परियोजना शुरू की गई है
ii) जोगीघोपा-तीस्ता-फरक्का लिंक - पीएफआर तैयार की गई और प्रस्ताव छोड़ दिया गया
iii) बेदती-वरदा लिंक - इसकी पीएफआर तैयार करने के बाद डीपीआर सीधे तैयार की गई थी, कोई एफआर तैयार नहीं की गई थी।
iv) नेत्रवती-हेमवती लिंक - पीएफआर तैयार करने के बाद आगे के अध्ययन, कर्नाटक सरकार द्वारा यतिनाहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद से नहीं किए गए हैं, क्योंकि इस लिंक के माध्यम से डायवर्जन के लिए नेत्रावती बेसिन में कोई अधिशेष पानी उपलब्ध नहीं है।

तैयार की गई 26 व्यवहार्यता रिपोर्टों में से सोन बांध-साउदर्न ट्रिब्यूटरिज़ ऑफ गंगा लिंक की मसौदा व्यवहार्यता रिपोर्ट में आगे और महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। नदियों को आपस में जोड़ने वाली सभी 30 परियोजनाओं की स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

****

अनुबंध

दिनांक 05/12/2024 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1797 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत अंतरबेसिन जल अंतरण लिंक स्कीमों की स्थिति

क्र. सं.	नाम	लाभार्थी राज्य	स्थिति
1	**क)** महानदी (मणिभद्र) - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक महानदी (बरमूल) - रुशिकुल्या - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	एफआर पूर्ण
2	गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक ##	आंध्र प्रदेश	एफआर पूर्ण
3	**क.)** गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुन सागर) लिंक	तेलंगाना	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुन सागर) लिंक *	तेलंगाना	डीपीआर पूर्ण
4	गोदावरी (इंचमपल्ली/सीएसएमपीपी) - कृष्णा (पुलिचिंताला) लिंक	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूर्ण
5	**क.)** कृष्णा (नागार्जुन सागर) - पेन्नार (सोमसिला) लिंक	आंध्र प्रदेश	एफआर पूर्ण
	वैकल्पिक कृष्णा (नागार्जुन सागर) - पेन्नार (सोमसिला) लिंक *	आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूर्ण
6	कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश	मसौदा डीपीआर पूर्ण
7	कृष्णा (अलमाट्टी) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	मसौदा डीपीआर पूर्ण
8	**क.)** पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक *	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी	डीपीआर पूर्ण

9	कावेरी (कट्टालई) - वैगई - गुंडर लिंक	तमिलनाडु	डीपीआर पूर्ण
10	क) पार्वती - कालीसिंध - चंबल लिंक	मध्य प्रदेश और राजस्थान	एफआर पूर्ण
	ख) संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत)	मध्य प्रदेश और राजस्थान	मसौदा पीएफआर पूर्ण
11	दमनगंगा-पिंजाल लिंक	महाराष्ट्र (मुंबई को केवल पानी की आपूर्ति)	डीपीआर पूर्ण
12	पार-तापी-नर्मदा लिंक	गुजरात और महाराष्ट्र	डीपीआर पूर्ण
13	केन-बेतवा लिंक	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	डीपीआर पूर्ण और परियोजना कार्यान्वयनाधीन है
14	पंबा - अचनकोइल-वैप्पार लिंक	तमिलनाडु और केरल	एफआर पूर्ण
15	बेदती - वरदा लिंक #	कर्नाटक	डीपीआर पूर्ण
16	नेत्रवती-हेमवती लिंक **	कर्नाटक	पीएफआर पूर्ण

*मणिभद्र और इंचमपल्ली बांधों पर सहमति लंबित होने के कारण, गोदावरी नदी के अप्रयुक्त जल को मोड़ने के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया गया था और गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना की डीपीआर पूरी कर ली गई थी। गोदावरी-कावेरी लिंक परियोजना तैयार की गई है जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (गन्द एनीकट) लिंक परियोजनाएं शामिल हैं।

** कर्नाटक सरकार द्वारा येतिनहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद से आगे के अध्ययन नहीं किए गए हैं, क्योंकि इस लिंक के माध्यम से डायवर्जन के लिए नेत्रावती बेसिन में कोई अधिशेष पानी उपलब्ध नहीं है।

गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक - यह परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है।

बेदती-वरदा लिंक - इसकी पीएफआर तैयार होने के बाद सीधे डीपीआर तैयार की गई थी, कोई एफआर तैयार नहीं की गई थी

हिमालयी घटक

क्र.सं.	लिंक का नाम	लाभार्थी देश/राज्य	स्थिति
1.	कोसी-मेची लिंक	बिहार और नेपाल	पीएफआर पूर्ण
2.	कोसी-घाघरा लिंक	बिहार और उत्तर प्रदेश एवं नेपाल	एफआर पूर्ण
3.	गंडक-गंगा लिंक	उत्तर प्रदेश और नेपाल	एफआर पूर्ण
4.	घाघरा-यमुना लिंक	उत्तर प्रदेश और नेपाल	मसौदा एफआर पूर्ण
5.	सारदा-यमुना लिंक	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	एफआर पूर्ण
6.	यमुना-राजस्थान लिंक	हरियाणा और राजस्थान	एफआर पूर्ण
7.	राजस्थान-साबरमती लिंक	राजस्थान और गुजरात	एफआर पूर्ण
8.	चुनार - सोन बैराज लिंक	बिहार और उत्तर प्रदेश	मसौदा एफआर पूर्ण
9.	सोन बांध - साउदर्न ट्रिब्यूटरिज़ ऑफ गंगा लिंक	बिहार और झारखंड	मसौदा एफआर पूर्ण
10.	मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	एफआर पूर्ण
11.	जोगीघोपा-तिस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प)	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	पीएफआर पूर्ण (प्रस्ताव छोड़ दिया गया है)
12.	फरक्का-सुंदरबन लिंक	पश्चिम बंगाल	एफआर पूर्ण
13.	गंगा (फरक्का) - दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक	पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड	एफआर पूर्ण
14.	सुवर्णरेखा-महानदी लिंक	पश्चिम बंगाल और ओडिशा	एफआर पूर्ण

*****